पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2014 का दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 10240

==========

डॉ. राम उदय शर्मा, स्वर्गीय मोहन शर्मा के पुत्र, गाँव-पंडुकी, डाकघर-मुंझारा, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा अपने कुलसचिव के माध्यम से
2. कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा।
3. कुलसचिव, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा।
4. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से,
5. प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. निदेशक उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. श्री वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय, अकबरपुर अरवल, पटना अपने प्राचार्य के माध्यम से।
8. श्री वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय, अकबरपुर अरवल, पटना का शासी निकाय अपने सचिव के माध्यम से।

.... उत्तरदातागण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री अरुण कुमार,
अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री कुमार आलोक एससी-7
विश्वविद्यालय के लिए	:	श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता

==========

चयन और नियुक्ति --- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 ("1976 अधिनियम") --- धारा 57, 57 ए, 57 बी, 59 --- याचिकाकर्ता, चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार में सफल घोषित होने के बाद, शासी निकाय द्वारा प्रश्नगत

कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के विधिवत विज्ञापित रिक्त स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया और उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू कर दिया और तब तक उसका निर्वहन करता रहा जब तक कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति की मंजूरी को विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर दिया गया कि याचिकाकर्ता को दूसरे आरक्षित पद पर नियुक्त किया गया था --- इसलिए, वर्तमान रिट।

*निष्कर्ष: 1976 अधिनियम ने चयन समिति की सिफारिश के अनुसरण में संबद्ध कॉलेजों द्वारा की गई नियुक्ति में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन का कोई तरीका निर्धारित नहीं किया है --- यह विवादित नहीं है कि कॉलेज के शासी निकाय द्वारा विज्ञापित व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चयन समिति गठित की गई है --- प्रतिवादियों का एकमात्र तर्क यह है कि जिस पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था वह आरक्षित श्रेणी के तहत एक दूसरा पद था, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में लाने में विफल रहे हैं कि सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञापित पद आरक्षित पद था --- इसके विपरीत, विज्ञापन से पता चलता है कि नियुक्ति के लिए विज्ञापित पद सामान्य श्रेणी का एक पद था --- विश्वविद्यालय / सिंडिकेट द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति के अनुमोदन को अस्वीकार करना अनुचित है और 1976 अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक शक्ति का अतिक्रमण है --- राज्य अधिकारियों को एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को वेतन के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया --- रिट का निपटारा। **(पैरा- 14-16,19,20)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

तारीखः 01-08-2024

1. याचिकाकर्ता ने राज्य के प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को वर्तमान और साथ ही बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया है।

2. याचिकाकर्ता ने चुनौती देते हुए 2018 का आई. ए. नंबर 6691 दायर किया। पंजीयक द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 852 दिनांक 02.06.2018 में निहित अधिसूचना, जिसमें सिंडीकेट के निर्णय को याचिकाकर्ता और अन्य लोगों को सूचित किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को शासी निकाय द्वारा श्री वासुदेव संस्कृत कॉलेज, अकबरपुर (अरवल), पटना (इसके बाद "कॉलेज" के रूप में संदर्भित) में खाली स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था। विचाराधीन महाविद्यालय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (इसके बाद "विश्वविद्यालय" के रूप में संदर्भित) से संबद्ध है।

4. संबंधित कॉलेज के शासी निकाय द्वारा दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 02.01.2013 पर एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय के अनुमोदित वेतनमान और यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित योग्यता पर साहित्य विषय में सहायक प्रोफेसर (सामान्य) के एक पद सहित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

5. याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और चयन समिति का विधिवत रूप से कुलपति द्वारा गठन किया गया। चयन समिति द्वारा 28.01.2023 पर चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया था। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग लिया। चयन समिति का गठन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (इसके बाद "1976 अधिनियम"

के रूप में संदर्भित) की धारा 57 के तहत किया गया था। साक्षात्कार के बाद, चयन समिति ने 28.01.2013 पर सहायक प्रोफेसर (साहित्य) के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की और याचिकाकर्ता ने 01.02.2013 पर अपनी नियुक्ति प्रस्तुत की और उसके बाद काम करना शुरू कर दिया।

6. विचाराधीन महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1974-1975 में की गई थी और सरकार ने याचिकाकर्ता के महाविद्यालय सहित विभिन्न महाविद्यालयों में पदों को मंजूरी दी थी और व्याख्याता के दो पदों वाले महाविद्यालयों के लिए बजट भी आवंटित किया था जो अनुलग्नक-9 श्रृंखला से स्पष्ट होगा। प्राचार्य के पद सहित शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में महाविद्यालय के लिए कुल दस पदों को मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए राज्य सरकार ने वेतन प्रदान किया था।

7. याचिकाकर्ता को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार साहित्य के खाली स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया है। अपनी नियुक्ति के बाद, याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दिया और तब तक इसका निर्वहन करना जारी रखा जब तक कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति की मंजूरी को विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा 2 जून, 2018 के विवादित आदेश द्वारा इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर दिया गया कि याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था दूसरा आरक्षित पद पर ।

8. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह आधार नहीं है क्योंकि विज्ञापन के अवलोकन से ही पद को सामान्य श्रेणी के पद के रूप में विज्ञापित किया गया था। पहले के वर्षों में, साहित्य के दो पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा रहा था और इस पद पर पदधारी रामेश्वरधारी सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और याचिकाकर्ता को नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन करने के बाद विधिवत नियुक्त किया गया था। यहां तक कि राज्य सरकार भी नियमित रूप से सामान्य श्रेणी के तहत दोनों पदों का वेतन प्रदान करती रही है और

इस तरह सिंडिकेट द्वारा अनुमोदन की अस्वीकृति का आधार पूरी तरह से मनमाना और गलत है।

9. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 1976 के अधिनियम की योजना के अनुसार संबद्ध कॉलेज शासी निकाय और 1976 के अधिनियम की धारा 57,57 ए, 57 बी द्वारा शासित हैं।

10. 1976 के अधिनियम की धारा 59 विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध कॉलेजों के संबंध के लिए प्रावधान निर्धारित करती है और कहती है कि विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध कॉलेजों का संबंध उस ओर से बनाए जाने वाले कानूनों द्वारा शासित होगा और ऐसे क़ानून विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियों के प्रयोग के लिए विशेष रूप से प्रदान करेंगेः-

> "(1) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना ऐसे महाविद्यालयों द्वारा नियोजित शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए;
>
> (2) शिक्षकों के पदों के सृजन, उनकी नियुक्तियों, बर्खास्तगी, निर्वहन, सेवा से हटाने, सेवा की समाप्ति और पद की अवधि के निर्धारण के संबंध में ऐसे कॉलेजों के शासी निकायों द्वारा की गई कार्रवाई को मंजूरी देना और संबद्ध कॉलेज से अलग किए गए इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी देना।

11. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विश्वविद्यालयों के माननीय कुलाधिपति द्वारा 1976 के अधिनियम की धारा 59 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालय में नियुक्ति के संबंध में शक्ति के प्रयोग के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है। धारा 59 एक सक्षम प्रावधान है और इसका उपयोग

विश्वविद्यालय द्वारा कानून बनाए बिना नहीं किया जा सकता है जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है।

12. तदनुसार, प्रस्तुतिकरण यह है कि सिंडिकेट/विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति की मंजूरी की अस्वीकृति अधिकार क्षेत्र के बिना है और कानून के अधीन है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 तक काम किया है और उसके बाद उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति नहीं दी गई।

13. इसके विपरीत, राज्य के साथ-साथ प्रतिवादी/विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को आरक्षित श्रेणी के लिए दूसरे पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिए विश्वविद्यालय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता की नियुक्ति की मंजूरी देना को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है। विश्वविद्यालय ने 1976 के अधिनियम की धारा 59 के संदर्भ में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की मंजूरी को सही ढंग से खारिज कर दिया है और तदनुसार याचिकाकर्ता को उसके द्वारा दावा की गई अवधि के लिए उसका वेतन नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों और नियमों के अनुसार नहीं की गई थी।

14. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि शासी निकाय द्वारा संचालित कॉलेज ने साहित्य (साहित्य) में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए वर्ष 2013 में सामान्य श्रेणी के तहत एक पद का विज्ञापन किया था। याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया। चयन समिति का गठन 1976 के अधिनियम और कानून की धारा 57-बी के अनुसार किया गया था। चयन समिति ने याचिकाकर्ता और अन्य लोगों का साक्षात्कार लिया और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पहले उम्मीदवार के रूप में याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की।

15. याचिकाकर्ता को 01.02.2013 पर शामिल होने की अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता ने सहायक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दिया और उसके बाद 02.06.2018 तक काम किया, यानी उस तारीख तक जब तक याचिकाकर्ता की नियुक्ति की मंजूरी सिंडिकेट द्वारा खारिज नहीं की गई थी। 1976 अधिनियम की धारा 59 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 1976 अधिनियम में चयन समिति की सिफारिश के अनुसार संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा की गई नियुक्ति में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन का कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। 1976 अधिनियम की धारा 59 के तहत इस संबंध में तैयार किए गए क़ानून को पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। हालाँकि, यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट रुख है कि 1976 के अधिनियम की धारा 59 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए माननीय कुलाधिपति द्वारा कोई क़ानून नहीं बनाया गया है।

16. 1976 के अधिनियम की धारा 57बी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के पास नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने की शक्ति है। यह विवादित नहीं है कि कॉलेज के शासी निकाय द्वारा विज्ञापित व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चयन समिति का गठन किया गया है। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए अयोग्य था और/या नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। प्रत्यर्थियों का एकमात्र तर्क यह है कि जिस पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति की गई थी, वह आरक्षित श्रेणी के तहत दूसरा पद था। उत्तरदाता यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज दर्ज करने में विफल रहे हैं कि सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञापित पद आरक्षित पद था। इसके विपरीत, विज्ञापन से पता चलता है कि नियुक्ति के लिए विज्ञापित पद सामान्य श्रेणी का एक पद था।

17. समकालीन दस्तावेज अर्थात याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक-9 श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत बजट की मंजूरी से पता चलता है कि पदों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था और याचिकाकर्ता के कॉलेज सहित विश्वविद्यालय के तहत चलने वाले विभिन्न कॉलेजों के लिए बजट आवंटित किया गया था जो सामान्य श्रेणी के पद थे।

18. तदनुसार, विश्वविद्यालय के साथ-साथ राज्य सरकार का यह तर्क कि यह पद एक आरक्षित श्रेणी का पद था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

19. इस न्यायालय ने पाया कि विश्वविद्यालय/सिंडिकेट द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति की मंजूरी की अस्वीकृति अनुचित है और 1976 के अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक शक्ति से अधिक है।

20. तथ्यों और कानून के संदर्भ में ऊपर की गई चर्चाओं पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय है कि सिंडिकेट द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति की मंजूरी की अस्वीकृति टिकाऊ नहीं है और तदनुसार इसे दरकिनार कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता के संबंध में दिनांकित 02.06.2018 की विवादित अधिसूचना को भी दरकिनार कर दिया गया है।

21. प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के वेतन के बकाया के भुगतान के लिए बिलों को नियुक्ति की तारीख से उस तारीख तक भेजे जब तक कि उसने वास्तव में दो महीने के भीतर राज्य का प्रत्यर्थी प्राधिकरण भेजा हो।

22. राज्य के अधिकारियों को विश्वविद्यालय से बिल प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

23. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

प्रफुल्ल/- एएफआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।